ई-मेल द्वारा

संख्या–डब्लू–288 / एक–7–2019–रा0–7

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
सुल्तानपुर।

राजस्व अनुभाग–7 लखनऊ :: दिनांक 27 मार्च, 2019

विषयः अवमाननावाद संख्या–1008 / सी / 2015 नरेन्द्र तिवारी बनाम अदिति सिंह, जिला मजिस्ट्रेट, सुल्तानपुर व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.02.2019 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 26.02.2019 एवं 11.03.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से सामयिक संग्रह अनुसेवकों के विनियमितीकरण के संबंध में मार्गदर्शन की अपेक्षा की गयी है।

2– इस संबंध में मुझे यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि कृपया शासनादेश दिनांक 22.02.2019 के कम में संग्रह अनुसेवकों के स्वीकृत पदों के सापेक्ष ही सामयिक संग्रह अनुसेवकों के विनियमितीकण की कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–डब्लू–288(1) / एक–7–2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।

2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया शासनादेश दिनांक 22.02.2019 के क्रम में संग्रह अनुसेवकों के स्वीकृत पदों के सापेक्ष ही सामयिक संग्रह अनुसेवकों के विनियमितीकण की शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(महेन्द्र सिंह)
विशेष सचिव।